मथुरा पुलिस

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

दिनांक 03.08.2025 **प्रेस नोट** **थाना - फरह**

थाना फरह पुलिस द्वारा चाँदी लूट के अभियोग में वाँछित चल रहे अभियुक्त को मय घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाईकिल एचएफ डीलक्स एवं चांदी व्यापारी से लूटे गये 02 मोबाइल फोन सहित किया गिरफ्तार।

थाना फरह पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 03.08.2025 समय करीब 02.05 बजे चाँदी लूट से सम्बन्धित मु0अ0सं0 292/2025 धारा 310(2)/317(3)/140(2) बीएनएस में प्रकाश में आये वाँछित अभियुक्त के0पी0 उर्फ केन्द्रपाल चौधरी पुत्र शिवराम निवासी हसैला थाना अछनेरा आगरा उम्र करीव 25 वर्ष को खादर वाली मईया/ चावड वाली मईया के मन्दिर परिसर ग्राम झुडावई थाना फरह से मय घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाईकिल एचएफ डीलक्स सहित गिरफ्तार किया गया तथा दौराने पूछताछ अभियुक्त केपी उर्फ केन्द्रपाल द्वारा चाँदी व्यापारी से लूटे गये दो मोबाईल फोन को अछनेरा रोड बम्बा के किनारे खेतों में फेकना बताया जिसके आधार पर अभियुक्त केपी उर्फ केन्द्रपाल की निशादेही पर बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

घटना/कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण – थाना फरह पुलिस द्वारा चाँदी लूट से सम्बन्धित मु0अ0सं0 292/2025 धारा 310(2)/317(3)/140(2) बीएनएस में प्रकाश में आये वाँछित अभियुक्त के0पी0 उर्फ केन्द्रपाल चौधरी पुत्र शिवराम निवासी हसैला थाना अछनेरा आगरा को दिनांक 03.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर खादर वाली मईया/ चावड वाली मईया के मन्दिर परिसर ग्राम झुडावई थाना फरह से समय करीब 02.05 बजे मय घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाईकिल एचएफ डीलक्स रजि0 सं0 UP80FR8617 सहित गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशादेही पर लूटे गये दो अदद मोवाइल फोन बरामद किये गये । ध्यात्वय है कि दिनांक 29.07.2025 को अभियुक्त के0पी0 उर्फ केन्द्रपाल व उसके साथियों1. नीरज पुत्र मुन्शीलाल 2. पदम सिंह उर्फ राहुल पुत्र रामभरोसी

3. रोहित पुत्र बब्लू 4. लव पुत्र भजनलाल 5. भोला उर्फ राजकुमार पुत्र मोहनसिंह निवासीगण धाना तेहरा थाना सैंया जनपद आगरा ने मिलकर आगरा से मथुरा की तरफ एनएच 19 से चाँदी व्यापारी को कार सहित अपहरण कर करीब 83 किलो चाँदी व व्यापारियों के मोबाइल फोन को लूट लिया था जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर दिनांक 29.07.2025 को मुकदमा पंजीकृत हुआ था। अभियोग पंजीकृत होने के उपरान्त जनपद स्तर पर संगीन घटना के अनावरण हेतु कई पुलिस टीमें गठित की गयी थी जिनके द्वारा घटना स्थल व घटना स्थल की ओर से आने जाने वाले रास्तो पर लगे सीसीटीवी फुटेज व जमीनी अभिसूचना एकत्रित कर दिनांक 01.08.2025 को थाना फरह पुलिस व एसओजी टीम मथुरा की अभियुक्तगण 1. नीरज पुत्र मुन्शीलाल 2. पदम सिंह उर्फ राहुल पुत्र रामभरोसी उपरोक्त के साथ मुठभेड हुयी थी जिस दौरान अभियुक्त नीरज पुत्र मुन्शीलाल की दौरान उपचार मृत्यु हो गयी थी व अभियुक्त पदम सिंह उर्फ राहुल उपरोक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था तथा करीब 83 किलो चाँदी बरामद हुयी थी शेष अभियुक्तगण के गिरफ्तारी के प्रयास लगातार किये जा रहे थे जिसके क्रम में आज प्रकाश में आये अभियुक्त के0पी0 उर्फ केन्द्रपाल चौधरी पुत्र शिवराम निवासी हसैला थाना अछनेरा आगरा को खादर वाली मईया/ चावड वाली मईया के मन्दिर परिसर ग्राम झुडावई थाना फरह से गिरफ्तार किया गया व अभियुक्त की निशादेही पर घटना में लूटे गये मोबाईल को बरामद किया गया।

नाम एवं पता गिरफ्तार अभियुक्त–

के0पी0 उर्फ केन्द्रपाल चौधरी पुत्र शिवराम निवासी हसैला थाना अछनेरा आगरा उम्र करीव 25 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक एवं समयः–

स्थान- खादर वाली मईया/ चावड वाली मईया के मन्दिर परिसर ग्राम झुडावई थाना क्षेत्र फरह जनपद मथुरा ,दिनांक 03.08.2025 , समय 02.05 बजे।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त-

के0पी0 उर्फ केन्द्रपाल चौधरी पुत्र शिवराम - मु0अ0सं0 292/2025 धारा 310(2)/317(3)/140(2) बीएनएस थाना फरह जनपद मथुरा।

बरामदगी का विवरण-

1.एक मो0सा0 रजि0 सं0 UP80FR8617 घटना में प्रयुक्त

2.एक मोबाईल सैमसंग कम्पनी

3.एक मोबाईल वीवो कम्पनी।

मोबाईल फोन बरामदगी का स्थान – अछनेरा दीनदयाल धाम मुख्य मार्ग से नगला वर को जाने वाले बम्बा के किनारे खेतों से।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक त्रिलोकी सिंह थाना फरह मथुरा।

2.निरीक्षक यशपाल सिंह थाना फरह मथुरा ।

3.उ0नि0 अर्जुन चौकी प्रभारी परखम थाना फरह मथुरा ।

4.उ0नि0 तेजेन्द्र सिंह चौकी प्रभारी रैपुराजाट थाना फरह मथुरा।

5.उ0नि0 विनीत नेहरा थाना फरह मथुरा।

6.है0का0 1894 पंकज कुमार थाना फरह मथुरा।

7.है0का0 156 अखिलेश कुमार थाना फरह मथुरा।

8.का0 1591 पवन सिंह थाना फरह मथुरा।

9.का0 1034 धीरेन्द्र सिंह थाना फरह मथुरा।

10.का0 1953 भरत कुमार थाना फरह मथुरा।